भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 129

उत्तर देने की तारीख : 02.02.2023

एम.एस.एम.ई. पर वैश्विक महामारी का प्रभाव

129. श्रीमती चिंता अनुराधा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एम.एस.एम.ई. पर वैश्विक महामारी के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एम.एस.एम.ई. पर वैश्विक महामारी के प्रभाव को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में किए जाने के लिए अन्य कौन से उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख) : सिडबी द्वारा 20 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 1,029 एमएसएमई के नमूने के आकार को लेकर सितंबर, 2021 से जनवरी, 2022 की अवधि के दौरान महामारी के प्रभाव पर किए गए अध्ययन के अनुसार सर्वेक्षित उद्यमों में से 67% उद्यम 3 माह तक की अवधि के लिए अस्थायी रूप से बंद हो गए थे। अध्ययन से पता चला है कि सर्वेक्षण किए गए लगभग 65% एमएसएमई ने आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत लाभ प्राप्त किया था और लगभग 36% प्रत्यर्थियों ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण प्राप्त किया था। सर्वेक्षण के आंकड़ों से प्रकट होता है कि परिभाषा में परिवर्तन से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) : सरकार ने देश में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में कई पहलें की हैं, जिनमें निम्न्लिखित शामिल हैं;

i. एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ।
ii. एमएसएमई आत्म-निर्भर भारत निधि के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
iv. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा नहीं होगी।
v. व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण"।
vi. एमएसएमई की शिकायत निवारण और सहायता प्रदान करने सहित ई-गर्वनेंस के कई पहलुओं को शामिल करते हुए जून, 2020 में "चैंपियंस" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत।
vii. 02 जुलाई, 2021 से प्रभावी खुदरा और थोक व्यापारों को एमएसएमई के रूप में समावेशन।
viii. एमएसएमई की स्थिति में स्तरोन्नयन परिवर्तन के मामले में 3 वर्षों का गैर-कर लाभ का विस्तार करना।
ix. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाने के लिए 11.01.2023 को उदयम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) का शुभारंभ।

*****